न्यायालय- उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारीः– श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 53/2018

बउनवानः–

1. लटूरलाल पुत्र धन्नालाल जाति मीणा
2. रामकन्याबाई बेवा धन्नालाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम बालून्दा तह0 मांगरोल जिला बारां

...प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. कन्हैयालाल पुत्र छगनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम बालून्दा
2. राजेश बाई बेवा रविप्रकाश जाति मीणा निवासी ग्राम बालून्दा तह0 मांगरोल जिला बारां
3. कालीबाई पुत्री स्व0 रविप्रकाश जाति मीणा निवासी ग्राम बालून्दा नाबा0 जर्ये वली माता राजेश बाई बेवा रविप्रकाश जाति मीणा निवासी ग्राम बालून्दा तह0 मांगरोल
4. मोनूकुमारी पुत्री स्व0 रविप्रकाश जाति मीणा निवासी ग्राम बालून्दा नाबा0 जर्ये वली माता राजेश बाई बेवा रविप्रकाश जाति मीणा निवासी ग्राम बालून्दा तह0 मांगरोल
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

वकील प्रार्थीगण : श्री अजीत कुमार जैन

वकील अप्रार्थीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

दायरा दिनांकः 27.09.2018

निर्णय दिनांक : 19.02.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण/वादीगण ने एक वाद अन्दतर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92 एवं 53, 188 आरटीएक्ट पेश किया और वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट पेश करके प्रार्थीगण ने कथन किया कि ग्राम बालून्दा तहसील मांगरोल में हाल खसरा नं0 128 रकबा 1.02 है0, खसरा नं0 156 रकबा 2.56 है0, खसरा नं0 160/408 रकबा 2.93 है0, खसरा नं0 165 रकबा 1.17 है0, खसरा नं0 333 रकबा 0.68 है0, खसरा नं0 153 रकबा 1.07 है0, खसरा नं0 160 रकबा 2.94 है0, खसरा नं0 247 रकबा 0.19 है0, खसरा नं0 288 [illegible] है0, खसरा नं0. 292 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 225 रकबा 0.46 है0 स्थित है। उक्त [illegible] की है तथा प्रार्थना पत्र में दर्शाये पारिवारिक सजरे अनुसार छगनलाल के चार पुत्र 1. धन्नालाल 2. चतुर्भुज 3. कन्हैयालाल व 4. रामगोपाल है। छगनलाल के पुत्र चतर्भुज व रामगोपाल दोनो लाऔलाद फौत हुए है। इस कारण उनके फौत होने के बाद विवादित सम्पत्ति में 1/2 हिस्से में धन्नालाल के फौत होने के कारण उनके वारिसान प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा बनता है। तथा कन्हैयालाल अप्रार्थी कम 1 जो जीवित पुत्र है उसका तथा उसके मृत पुत्र रविप्रकाश के वारिसान जो अप्रार्थी कम 1 ता 4 है सभी का 1/2 हिस्सा बनता है। इस प्रकार विवादित आराजी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.03.22 12:22:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का 1/2 व अप्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा रहेगा। अप्रार्थी कम 1 ने वक्त सेटलमेंट भूप्रबंध विभाग के कर्मचारियों से मिलकर छगनलाल के जीवनकाल में ही एक फर्जी इकरारनामा के आधार पर विवादित भूमियों का एक बंटवारानामा भूप्रबंध विभाग के कार्मिको से करवा लिया जबकि इसप्रकार का बंटवारा करने का कोई अधिकार नही था। उसमें प्रार्थीगण अथवा उसके पिता की भी सहमति नही थी। छगनलाल के जीवनकाल में कुछं भूमियां रामगोपाल पुत्र छगनलाल के नाम दर्ज करवाली तथा इन्तकाल नं0 5 दिनांक 30.08.1991 से भूमियां रविप्रकाश पुत्र कन्हैयालाल मीणा के नाम दर्ज करवा ली तथा रवीप्रकाश के फौत होने के बाद यह भूमियां अप्रार्थी कम 2 ता 4 के नाम दर्ज करवाली इस प्रकार इंतकाल नं0 5 दिनांक 30.08.1991 व बंटवारा नामा जो दिनांक 09.04.1983 को सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया गया है जो प्रभाव शून्य है। इकरारनामे पर प्रार्थीगण के अलावा उनके पिता के भी हस्ताक्षर नही है। प्रार्थीगण अपना 1/2 हिस्सा शांतिपूर्ण ढंग से काश्त कर रहे है। किन्तु अप्रार्थीगण अपना नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर वादग्रस्त भूमियों को जबरन रहन–बैंचान व अन्य प्रकार से मुन्तकिल करके जबरन कब्जा करना चाहते है। अप्रार्थीगण दिनांक 20.08.2018 को भूमि पर जबरन कब्जा करने आ गये और ऐलानिया धमकी दी की आज नही तो कल जबरन इस विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा करके रहेगें। प्रार्थीगण खिलाफ अप्रार्थीगण अविलम्ब अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवा पाने के अधिकारी व नालिशी है।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर अप्रार्थी गण 1 ता 4 को जर्ये नोटिस तलब किया गया। तलब होने के पश्चात अप्रार्थीगण ने जर्ये अधिवक्ता अपना जवाब प्रार्थना पत्र व राजस्व रेकार्ड पेश किये जो शामिल मिशल है। जवाग प्रार्थना पत्र के कथनानुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी किस–किस खातेदार के खाते में दर्ज है प्रार्थना पत्र में वर्णित नही किया गया है। हाल जमाबंदी में कौन खातेदार है अंकन नही होने से प्रार्थना पत्र प्रथमदृष्टया ही खारिज योग्य है। प्रार्थी को यह बताना आवश्यक था कि उक्त विवादित आराजी का खातेदार कौन है शेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है। पूर्व खातेदार छगनलाल पुत्र सुखलाल ने अपनी जायदाद आराजी का आपसी सहमति से बंटवारा कर दिया था। उक्त व्यवस्था को अब चुनौति नही दी जा सकती। प्रार्थना पत्र की मद नं0 4 मिथ्या मनगढंत व आधारहीन है। अप्रार्थी 1 ने कोई फर्जी इकरारनामा नही बनाया है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 5 स्वीकार नही है। प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा भूमि पर कब्जा नही है। प्रार्थीगण ने यह भी नही लिखा कि कौन–कौनसे खसरा नं0 की भूमि पर काबिज है तथा 1/2 हिस्से में कितने बीघा भूमि आराजी आती है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 7 स्वीकार नही है। अप्रार्थीगण अपनी आराजी के रेकार्डेड खातेदार है। रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। खाता संख्या 75 व खाता संख्या 74 में प्रतिवादी नं0 1 सह खातेदार है। सह खातेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। ऐसी स्थिति में पृथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 9 स्वीकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.03.22 12:22:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की ओर से राजस्व रेकार्ड पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है। प्रार्थीगण की ओर से अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृटान्त पेश किये गये जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थीगण की ओर से अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी पेश किया जो शामिल मिशल है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उभयपक्ष का भी मनन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र को निर्धारित करने के लिए न्यायालय को निम्न तीन बिन्दओ को देखना होता है।

1. प्रथम दृष्टया मामला 2. सुविधा का संतुलन 3. अपूर्णनीय क्षति

01. प्रथम दृष्टया मामलाः– उभयपक्ष ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यो को दोहराया है जो कि उन्होने अपने–अपने प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र में लिखा है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में विवादित आराजी का विवरण दिया है। लेकिन यह विवादित आराजी किस खातेदार के नाम दर्ज है नही बताया है। मद नं0 3 साबिक खसरा नं0 का उल्लेख है जो पूर्व खातेदार छगनलाल पुत्र सुखलाल मीणा के नाम दर्ज है। आगे अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण सभी धन्नालाल के वारिस व उत्तराधिकारी है। वकील प्रार्थीगण का मुख्य तर्क है कि छगनलाल के चार पुत्र थें इनमें से चतुर्भुज व रामगोपाल लाऔलाद फौत हुए थें। छगनलाल के खाते की आराजी 1/2 में प्रार्थीगण के और 1/2 में अप्रार्थी कम 1 कन्हैयालाल के दर्ज होनी चाहिए लेकिन दौराने सेटलमेंट अप्रार्थी कम 1 ने सेटलमेंट कार्मिको से मिलकर एक फर्जी इकरार नामा बनाकर आराजी प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के नाम दर्ज करा ली। आगे बहस में बताया कि इंतकाल नं0 5 दिनांक 30.08.1991 से भूमि रविप्रकाश के फौत हो जाने से उसके वारिसान अप्रार्थी कम 2 ता 4 के नाम दर्ज करा ली। बंटवारा नामा 09.04.2003 व इंतकाल नं0 5 दिनांक 30.08.1991 प्रार्थीगण के विरूद्ध शून्य है। इस प्रकार कुछ आराजी अप्रार्थी कम 1 ता 4, कुछ आराजी प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। इन सबको निरस्त करके 1/2 प्रार्थीगण व 1/2 अप्रार्थी कम 1 के नाम होना चाहिए। अप्रार्थीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि वे दर्ज आराजी का रहन बैचान या अन्य तरीके से मुन्तिकल ना करें।

वकील अप्रार्थी ने अपनी जवाब बहस में बताया कि अप्रार्थी कम 1 स्वयं रेकार्डेड खातेदार है। अप्रार्थी कम 2 ता 4 भी रेकार्डेड खातेदार है। यह बात स्वयं प्रार्थीगण स्वीकार कर रहा है। 36 वर्ष बाद प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थीगण लगातार [illegible] वर्षों से रेकार्डेड खातेदार की हैसियत से काबिज काश्त है। बंटवार फर्जी है या नही यह मूल वाद में तय किया जावेंगा। न्यायालय धारा 212 आरटीएक्ट की बहस सुन रहा है। आगे बहस में बताया कि कुछ राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में सहखातेदार है। खाता सख्या 74 व 75 में अप्रार्थी कम 1 सहखातेदार है। इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा वकती। अप्रार्थीगण की ओर से पेश किये गये न्यायिक दृष्टान्त पत्रावली में संलग्न है। आग बहस में बताया कि खसरा नं0 128 रकबा 1.02 है0 प्रार्थीगण या अप्रार्थीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.03.22 12:22:58 IST
Reason: SelfAttested

खाते में नही है तथा खातेदार कमल पुत्र रामकल्याण मीणा है जिसको पक्षकार नही बनाया गया है। आगे बहस में बताया कि प्रार्थीगण ने जानबुझ कर यह नही बताया किय कौन कौनसे खसरा नम्बर की आराजी उसके पास है। उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात व राजस्व रेकार्ड देखने के बाद न्यायालय के मद में अप्रार्थी कम 1 ता 4 अलग–अलग रेकार्डेड खातेदार है। स्वतंत्र मालिक व काबिज है। तथा 36 वर्षो से लगाता स्वतंत्र खातेदार है। अप्रार्थी कम 1 खाता संख्या 74 व 75 ग्राम बालून्दा में सहखातेदार भी है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी कम 1 ता 4 के पक्ष में पाया जाता है।

2. सुविधा का संतुलन– प्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया है कि वे 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त है। लेकिन राजस्व रेकार्ड देखने से इस बात को बल नही मिलता है कि प्रार्थीगण 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त हो। जबकि अप्रार्थी कम 1 व 2 ता 4 स्वतंत्र रेकार्डेड खातेदार है। और गत 35–36 वर्षो से काबिज काश्त है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन बिन्दु भी अप्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है।

3. अपूर्णीय क्षति– प्रार्थीगण जिस राजस्व रेकार्ड के खातेदार है। उस पर काबिज काश्त है। तथा अप्रार्थीगण अपनी–अपनी जमाबंदी के अनुसार काबिज काश्त है। उभयपक्ष अपने–अपने राजस्व रेकार्ड के अनुसार काबिज काश्त है। रेकार्डेड खातेदार अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने पर अप्रार्थीगण को ज्यादा क्षति का सामना करना पडेगा विद्वान वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीर प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा नही होती। बंटवारा फर्जी है या नही इंतकाल शून्य है या नही वक्त मूल वाद में तय होगा। वर्तमान प्रकरण में अप्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। लिहाजा यह बिन्दु भी अप्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 2... [illegible] एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण 1 ता 4 वास्ते चाहने अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2021 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.03.22 12:22:58 IST
Reason: SelfAttested

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)